न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 :– 24/2021 तारीख रजू :– 23.06.2021

पीठासीन अधिकारी – अनूपसिंह

R.A.S.

1. मोहनसिंह पुत्र मंगती	जाति जाट निवासी पीपलहेडा तहसील हिण्डौन
2. सन्ता पत्नि मंगती	जिला करौली—————————— प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान ——— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट

उपस्थित :–1. श्री अशोक नीमनका एडवोकेट प्रार्थीगण

निर्णय

दिंनाक :– 6-6-2022

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश करं प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि प्रार्थी आराजी खसरा नम्बर 984 रकबा 1.00 है0 स्थित ग्राम पीपलहेडा तहसील हिण्डौन का एक मात्र खातेदार काश्तकार है। जिससे प्रार्थी के अलावा अन्य किसी व्यक्ति का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि प्रार्थी का खेत खसरा नम्बर 984 आम रास्ता के सहारे स्थित होने के कारण पटवारी हल्का एवं प्रार्थीगण का खेत खसरा नम्बर 984 आम रास्ते के सहारे स्थित होने के कारण हल्का पटवारी एवं प्रार्थीगण के मध्य आये दिन सीमा को लेकर विवाद एवं कहा सुनी की स्थिति बनी रहती है। इसलिए उक्त खसरा नम्बर 984 के रकबे की चतुर सीमाओं की पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। जिससे उक्त विवाद की स्थिति को टाला जा सके।

प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि प्रार्थी पत्थरगढी बाबत् निर्धारित फीस अदा करने को सदैव तैयार है।

हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि विवादग्रस्त खसरा नम्बर 984 पर वर्तमान में प्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि खसरा नम्बर 984 रकबा 1.00 है0 स्थित ग्राम पीपलहेडा तहसील हिण्डौन के रकबे की पत्थरगढी के आदेश तहसीलदार तहसील हिण्डौन को प्रदान कराने का निवेदन किया है।

प्रार्थीगण ने दस्तावेजी सबूत में नकल नक्शा सीट हाल, नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 पेश किये हैं।

वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और अवगत कराया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 984 का सीमाज्ञान कराते हुए पत्थरगढी कराने के आदेश तहसीलदार हिण्डौन को फरमावें।

वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया । प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 984 रकबा 1.00 है0 वाके ग्राम पीपलहेडा तहसील हिण्डौन की खातेदारी प्रार्थीगण मोहनसिंह पुत्र मंगती हि01/2 जाति जाट सा0देह खातेदार राहिन ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा हिण्डौन, सन्ता पत्नि स्व0 मंगती हि01/2 जाति जाट सा0देह खातेदार राहिन ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा हिण्डौन के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 984 रकबा 1.00 है0 वाके ग्राम पीपलहेडा तहसील हिण्डौन का प्रार्थीगण रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार हैं तथा प्रार्थीगण उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 984 रकबा 1.00 है0 वाके ग्राम पीपलहेडा तहसील हिण्डौन का खातेदार काश्तकार होने के क़ारण अपनी खातेदारी की भूमि का नियमानुसार सीमाज्ञान कराते हुए पत्थरगढी कराने का अधिकारी साबित हैं। ऐसे हालात में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि आप मौके पर पहुँचकर खसरा नम्बर 984 रकबा 1.00 है0 वाके ग्राम पीपलहेडा तहसील

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

हिण्डौन का मौके पर सीमाज्ञान करवाते हुए पत्थरगढी करावें। सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाते समय मौके पर कानून व्यवस्था एवं परिशान्ति बनाये रखने हेतु यदि तहसीलदार उचित समझे तो थानाधिकारी थाना सदर हिण्डौन से पर्याप्त पुलिस जाप्ता नियत तारीख पेशी को प्राप्त कर सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करावें। सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी की कार्यवाही करने से पूर्व तारीख एवं समय निश्चित करते हुए प्रार्थीगण को मौके पर उपस्थित रहने हेतु नोटिस जारी करें तथा प्रार्थीगण को आदेशित किया जाता है कि सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी की नियमानुसार फीस तहसीलदार हिण्डौन के यहॉ 7 दिवस में जमा करावें। पालना रिपोर्ट तहसीलदार हिण्डौन एक माह में इस न्यायालय में पेश करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिंनाक ....6-6-2022.... को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनूपसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली